56 प्लॉटों के सौदों में 1.11 करोड़ की ठगी, 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज

10.96 करोड़ में तय हुआ था सौदा, एग्रीमेंट रद्द करने का आरोप लगाया

- मामला बड़ौदामेव क्षेत्र की करीब 7.36 हेक्टेयर कृषि भूमि से जुड़ा है

अलवर, (निसं)। अलवर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने 56 प्लॉटों के सौदों में 1.17 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला बड़ौदामेव क्षेत्र की करीब 7.36 हेक्टेयर कृषि भूमि से जुड़ा है। मामले में पीड़ित ने कोर्ट के जरिए थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

कामां के किरावता निवासी नेमीचंद शर्मा ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार साहिल शर्मा और हरीश सैनी ने पीड़ित नेमीचंद शर्मा और उसके साथियों से संपर्क कर बड़ौदामेव की कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करने की बात कही। आरोपियों ने जमीन को विवाद और किसी भी तरह के लोन से मुक्त बताते हुए प्लॉटों का सौदा किया। पीड़ित के अनुसार, कुल 56 प्लॉट 8400.76 वर्गगज क्षेत्रफल का सौदा 13,050 रुपए प्रति वर्गगज की दर से कुल 10 करोड़ 96 लाख 29 हजार 918 रुपए में तय हुआ था। आरोप है कि साहिल और हरीश सैनी ने सौदे के समय साई के तौर पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए लिए थे। इसमें 69 लाख 90 हजार 500 रुपए नकद और 41 लाख 9 हजार 500 रुपए अन्य माध्यम से आरोपियों को दिए गए। इसके बाद आरोपियों की ओर से 5 फरवरी 2025 को सूर्यनगर स्थित अधिवक्ता एवं नोटरी चंद्रशेखर के यहां एग्रीमेंट करवाया गया। एग्रीमेंट के अनुसार बाकी 9 करोड़ 85 लाख 29 हजार 918 रुपए लेकर 5 मार्च 2027 तक 56 प्लॉटों के रजिस्ट्री कराने की बात तय हुई थी। साथ ही जमीन का कनवर्जन, 30 और 25 फीट चौड़े रास्ते, डामर व ग्रेवल रोड, बाउंड्रीवाल, पार्क, मंदिर, सीवर लाइन, पानी की लाइन और रोड लाइट सहित विकास कार्य कराने की जिम्मेदारी भी आरोपियों की ओर से करना तय था।

पीड़ित का आरोप है कि 15 अप्रैल 2025 से विकास कार्य शुरू नहीं हुए और बार-बार कहने के बावजूद आरोपी टालमटोल करते रहे। जानकारी करने पर पता चला कि साहिल शर्मा और हरीश सैनी के पक्ष में मूल खातेदारों द्वारा कराया गया एग्रीमेंट नवंबर 2025 में ही रद्द हो चुका था। इसके बाद भी आरोपियों ने धोखे से 56 प्लॉटों की 1.11 करोड़ रुपए साई ली। पीड़ित नेमीचंद शर्मा ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत और आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी व कूटरचित इकरारनामा तैयार कर रकम हड़प ली। परिवादी ने आरोपी साहिल शर्मा निवासी भूगोर, हरीश सैनी निवासी करोली कुंड, अनील कुमार, पूरनमल, शांति, मोहन लाल वीधा देवी, नितिनदीप, प्रियंका कुमावात, वीनीता देवी, सचिन कुमावात, श्रवण लाल, कामला देवी, रमेश, गिरधर, रूपसिंह, भज्जी यानि 17 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है, इनमें अधिकतर आरोपी बड़ौदामेव के निवासी हैं।

जोधपुर में डीएसटी टीम की गाड़ी को बदमाशों ने टक्कर मारी

- हादसे में एक कॉन्स्टेबल का हाथ फ्रैक्चर हुआ, जबकि तीन पुलिसकर्मियों को चोट आई
- जोधपुर के करवड़ थाना क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने गई थी डीएसटी टीम, मामला दर्ज

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के करवड़ थाना क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने गई डीएसटी टीम की गाड़ी को बदमाशों ने टक्कर मार दी। हादसे में एक कॉन्स्टेबल का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। मामले में डीएसटी टीम प्रभारी एएसआई श्रवण कुमार ने आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार रात मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, ओसियां थाने से सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी ओसियां-भवाद फाटक पर बोलेरो लेकर खड़े हैं। इसकी जानकारी मिलते ही टीम ओसियां-भवाद फाटक पर पहुंची। यहां टीम को देख बदमाशों ने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। जब डीएसटी टीम ने बदमाशों का पीछा किया तो आरोपियों ने बचने के लिए डीएसटी की गाड़ी को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के टायर बस्ट हो गए। इसके बावजूद पुलिस ने पीछा जारी रखा। इसके बाद बदमाश गाड़ी छोड़कर खेतों में भाग गए थे। इस हादसे में कॉन्स्टेबल वीरेंद्र के हाथ में फ्रैक्चर हुआ। वहीं एएसआई श्रवण कुमार, हरेंद्र और मदनलाल को भी चोटें आई हैं।

डीएसटी टीम के श्रवण कुमार ने बताया कि 10 दिन पहले इन बदमाशों ने ओसियां थाने में एक दुकान का शटर तोड़ वहां से कॉपर की केबल चोरी की थी और इसे जोधपुर में किसी को बेच दिया था। इधर, इस मामले को लेकर एएसआई श्रवण कुमार ने जयपाल सिंह समेत 6 बदमाशों के खिलाफ करवड़ थाने में जान से मारने की नियम से हमला करने और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया है। तीन आरोपियों में जयपाल सिंह, महिपाल दान और महेश को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में से एक वांटेड था। बदमाश कॉपर तार चोरी के मामले में वांछित थे।

जोधपुर में अलग-अलग हादसों में दो की मौत

जोधपुर, (कासं)। शहर के बेरू क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन पर कार्य करते एक श्रमिक अडान से नीचे गिर गया। अस्पताल ले जाने के बाद उपचार के बीच उसकी मौत हो गई। घटना में मृतक के भाई की तरफ से राजीव गांधी नगर थाने में मर्ग की रिपोर्ट दी गई। शव को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। राजीव गांधी नगर पुलिस ने बताया कि कालीबेरी, सूरसागर निवासी विक्रम सांखला पुत्र नरसिंह की तरफ से मर्ग में रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसका भाई 48 वर्षीय पृथ्वीसिंह सांखला बेरू स्थित शिव सारणों की ढाणी में निर्माणाधीन भवन पर कार्य करते समय अडान से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल उसके भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर बाद में उसकी मौत हो गई।

वहीं शहर के पाल रोड स्थित एक मिठाई की दुकान में कंदोई गर्म चासनी में गिर गया। इससे वह बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर हालत में उसे एमजीएच में भर्ती कराया गया, मगर अब उसकी मौत हो गई।

बोरानाडा पुलिस ने बताया कि सोलंकियां तला बालेसर शेरगढ़ निवासी बाबूराम पुत्र तेजाराम प्रजापत की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसका चचेरा भाई सोलंकियां तला बालेसर निवासी पेमाराम पुत्र अम्माराम यहां पाल रोड स्थित एक मिठाई की दुकान में काम करता था। वह 13 अगस्त को चक्कर आने पर गर्म चासनी कड़ाई में गिर गया। इससे वह झुलस गया और उसे एमजीएच में भर्ती कराया गया, मगर अब उसकी मौत हो गई। बोरानाडा पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द किया। अग्रिम जांच की जा रही है।

राजसमंद के केलवा में केबल चोर गिरोह का खुलासा, एक आरोपी को पकड़ा

- 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस आरोपी तक पहुंची
- आरोपी ने साथी के साथ मिलकर अलग-अलग क्षेत्रों में वारदातें स्वीकार की

राजसमंद, (निसं)। केलवा थाना क्षेत्र में लगातार हो रही केबल चोरी की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए राजसमंद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर केलवा सर्कल के अलग-अलग क्षेत्रों में केबल, बिजली की डीपी से तांबा एवं विद्युत केबल चोरी सहित कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर चोरी की अन्य घटनाओं और फरार साथी के बारे में जानकारी जुटा रही है।

पुलिस के अनुसार केलवा क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने चोरी वाले स्थानों और आरोपियों के संभावित आवागमन वाले मार्गों पर लगे 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र की मदद से संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की गई। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रोशनलाल पुत्र मोहनलाल भील निवासी तलवा मादड़ी, थाना केलवा को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। पूछताछ में उसने थाना केलवा में दर्ज प्रकरण की वारदात अपने साथी छगन पुत्र लालूराम, निवासी तलवा मादड़ी के साथ मिलकर करना स्वीकार किया। पुलिस ने रोशनलाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि छगन फरार बताया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अंबामाता से देवपुरा साइड कट क्षेत्र में केबल चोरी, आत्मा कुआरिया माइंस से बिजली की डीपी तोड़कर तांबा चोरी, तासोल रोड खटामला के पास बंद पड़ी माइंस से डीपी व तांबा चोरी, झांझर माइंस के अंदर से विद्युत डीपी व तांबा चोरी तथा निझरना रोड से बिजली की डीपी का तांबा चोरी करना स्वीकार किया है। इसके अलावा अंबामाता के पास कटर से भंगार चोरी, सियाणा के पास डीपी तोड़कर तांबा चोरी, दुर्गाकुंड के पास विद्युत केबल चोरी, झांझर माइंस से तांबे की केबल चोरी, तासोल रोड पर कटर से तांबे की केबल चोरी, सियाणा-जेतपुरा रोड पर कटर से केबल चोरी, दोवलाई रोड और आखरिया के पास कटर से केबल चोरी तथा मनका मार्बल माइंस से विद्युत तांबे की केबल चोरी की वारदातें भी कबूल की गई हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रोशनलाल के खिलाफ पूर्व में भी चोरी, विद्युत अधिनियम सहित अन्य धाराओं में एक दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसके खिलाफ वर्ष 2019 से 2025 तक केलवा सहित अन्य थानों में चोरी और अन्य अपराधों के मामले दर्ज बताए गए हैं। इनमें कुछ प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा होने तथा चोरी के माल की बरामदगी की संभावना है। साथ ही पुलिस फरार आरोपी छगन की तलाश में जुटी हुई है।

भीलवाड़ा में 1.42 करोड़ का डोडा-पोस्त व अफीम जब्त

- दो कारों में 753.55 किग्रा डोडा-पोस्त और 6.42 किग्रा अफीम मिली

भीलवाड़ा, (निसं)। आदर्श आचार संहिता के चलते नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत डीएसटी भीलवाड़ा और पुलिस थाना फूलियां कलां ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तस्करों के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है। पुलिस ने दो लग्जरी कारों से 1 करोड़ 42 लाख रुपये मूल्य का 753.55 किलोग्राम अवैध डोडा-पोस्त और 6.42 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की है।

जानकारी के अनुसार, 20 अगस्त को डीएसटी के हैड कांस्टेबल कालूराम धायल को गोपनीय मुखबिर से सूचना मिली कि शाहपुरा की ओर से दो लग्जरी गाड़ियों में बदमाश प्रवृत्ति के लोग तेज रफ्तार में गुलाबपुरा की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर डीएसटी प्रभारी कन्हैयालाल और फूलियां कलां थानाधिकारी दिनेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने ग्राम कोठिया के पास नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान शाहपुरा की तरफ से आ रही एक स्कॉर्पियो और क्रेटा कार ने पुलिस का इशारा अनदेखा कर नाकाबंदी तोड़ दी और गुलाबपुरा की तरफ भाग निकले। इस पर आगे तैनात डीएसटी टीम ने सड़क पर स्टॉप स्टिक बिछा दी, जिससे गाड़ियों के टायर पंचर हो गए। पंचर होने के बाद भी तस्कर गाड़ियों को दौड़ाते रहे, लेकिन कोठिया गांव से थोड़ा आगे वाहन बंद हो गए। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर फरार हो गए। पुलिस ने जब दोनों कारों की तलाशी ली, तो उनमें से 753.55 किग्रा डोडा-पोस्त जिसकी कीमत करीब 1.12 करोड़ रुपये और 6.42 किग्रा अफीम जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये के साथ कई फर्जी नंबर प्लेटें बरामद हुईं।

चोरी की नौ मोटरसाइकिलें बरामद, एक आरोपी को दबोचा

श्रीनाथजी थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद की।

राजसमन्द, (निसं)। श्रीनाथजी थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नगर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर संदिग्धों पर निगरानी शुरू की।इसी दौरान 19 अगस्त को संदिग्ध नरेश उर्फ मुन्ना को डिटेन किया गया। पुलिस द्वारा गहन पूछताछ करने पर उसने अलग-अलग स्थानों से कुल 9 मोटरसाइकिलें चोरी करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं तथा नरेश उर्फ मुन्ना पुत्र सवाराम गमेती निवासी डिंगेला थाना नाथद्वारा को गिरफ्तार किया गया।

थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि फरियादी बलराम मीणा की मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया, जिसके बाद आरोपी नरेश को डिटेन के पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पर आठ अन्य मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामद मोटरसाइकिलों में बुलेट रॉयल एनफील्ड, यामाहा एमटी, बुलेट 350, हीरो स्प्लेंडर प्लस, होंडा ड्रीम योगा स्प्लेंडर प्लस, सीडी डीलक्स, टीवीएस रेडर सहित अन्य मोटरसाइकिलें शामिल हैं। आरोपी से अन्य मामलों में चोरी के माल की बरामदगी तथा चोरी की मोटरसाइकिलों को कहां-कहां और किसे बेचा गया, इस संबंध में पूछताछ कर रही है, मामले में आगे की जांच जारी है।

नाबालिग के पासपोर्ट के लिए पिता की सहमति जरूरी नहीं : हाईकोर्ट

तलाकशुदा माता-पिता के विवाद में नहीं रुकेगी बच्चे की पढ़ाई, पासपोर्ट जारी करने के निर्देश दिये

- कोर्ट ने कहा कि बच्चे माता-पिता की संपत्ति नहीं, बल्कि कानून की नजर में स्वतंत्र व्यक्ति हैं
- जस्टिस ढंढ ने 17 वर्षीय नाबालिग की मां के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर याचिका स्वीकार की

जोधपुर, (कासं) राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि तलाकशुदा माता-पिता के बीच विवाद के कारण किसी नाबालिग बच्चे के शिक्षा के लिए विदेश जाने के अधिकार को केवल इसीलिए नहीं रोका जा सकता कि पासपोर्ट आवेदन पर पिता की सहमति या हस्ताक्षर नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि बच्चे माता-पिता की संपत्ति नहीं, बल्कि कानून की नजर में स्वतंत्र व्यक्ति हैं। माता-पिता उनके अभिभावक हैं, मालिक नहीं। जस्टिस ढंढ ने 17 वर्षीय नाबालिग की मां के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर याचिका स्वीकार करते हुए पासपोर्ट प्राधिकरण को उसका पासपोर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।

याचिका में नाबालिग की ओर से मांग की गई थी कि आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है, लेकिन नाबालिग होने से पासपोर्ट प्राधिकरण ने पिता की सहमति के अभाव में पासपोर्ट जारी नहीं किया। नाबालिग के माता-पिता के बीच विवाह से जुड़ा विवाद हो गया था। उसकी मां की तलाक की याचिका कोर्ट में मंजूर होने के बाद 2022 में तलाक हो गया। इसके बाद से नाबालिग अपनी मां के साथ रह रहा था। उसके पिता ने उसकी कस्टडी और मिलने के लिए किसी तरह का कोर्ट में आवेदन नहीं किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बच्चे ने दसवीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है और विदेश में पढ़ाई के लिए उसका चयन हुआ है। ऐसे में केवल इस तकनीकी आधार पर उसे विदेश जाने से रोकना उचित नहीं है कि पारिवारिक अदालत के आदेश में उसकी कस्टडी के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कोर्ट ने माना कि जब पिता ने कस्टडी या मुलाकात का अधिकार मांगने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो बच्चे को पासपोर्ट के लिए उनकी सहमति लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है। इस अधिकार से किसी व्यक्ति को केवल कानून द्वारा निर्धारित न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि पासपोर्ट प्राधिकरण नाबालिग के पासपोर्ट के लिए हर स्थिति में दोनों माता-पिता की सहमति पर जोर नहीं दे सकता। यदि किसी कारण से एक अभिभावक दूसरे की सहमति प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो पासपोर्ट नियमों के तहत ऐनेक्सर सी में शपथपत्र देकर पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।

हिंडौन में 34 डिग्री पहुंचा तापमान

हिंडौन, (निसं)। हिंडौन में पिछले एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई है, जिससे क्षेत्र में तेज धूप और 34 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। मौसम की इस स्थिति से कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

मानसून का आधा से अधिक समय बीतने के बावजूद बारिश की कमी ने किसानों और आमजन की चिंता बढ़ा दी है। जलस्त्रोतों में जलभराव की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है, जिससे किसान आगामी फसलों की बुवाई और सिंचाई को लेकर चिंतित हैं। सावन के महीने में ज्येष्ठ माह जैसी गर्मी महसूस हो रही है। क्षेत्र में सुबह से ही 80 प्रतिशत तक आर्द्रता के कारण गर्मी के साथ उमस भरा माहौल बना हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जून से अब तक हिंडौन शहर में केवल 380 एमएम और जगर बांध क्षेत्र में 337 एमएम बारिश दर्ज की गई है। अगस्त माह में 1 से 22 अगस्त तक हिंडौन में 240 एमएम और जगर बांध में 202 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई है। जगर बांध में इस महीने केवल 1.5 फीट पानी की आवक हुई है। बांध का कुल गेज एरिया 30 फीट है, जिसमें वर्तमान में केवल 24 फीट तक पानी है। तेज गर्मी के कारण स्कूली बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

टोंक से चोरी हुआ ट्रक कोटा के मंडाना क्षेत्र से बरामद

- जब्त ट्रक में 16 लाख कीमत का जिम का सामान मिला

कोटा, (निसं)। जिला टोंक के थाना दत्तावास क्षेत्र से चोरी हुए ट्रक के दर्ज मामले में मंडाना पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी हुए ट्रक को मंडाना क्षेत्र से बरामद किया है। बरामद ट्रक में जिम का सामान मिला, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रूपये बताई गई है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि जिला टोंक के दत्तावास में फरियादी ने ट्रक चोरी होने का मामला दर्ज कराया था, ग्रामीण एसपी ने बताया कि 21 अगस्त को ग्रामीण पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि थाना दत्तावास क्षेत्र से आईसर ट्रक को कोई अज्ञात चोरी करके ले गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि सूचना मिली कि गोपालपुरा के पास फाटाखेड़ा पुलिया सर्विस रोड पर एक ट्रक सड़क किनारे खड़ा हुआ है। सूचना पर मंडाना थानाधिकारी सुमेर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने गोपालपुरा के पास फाटाखेड़ा पुलिया सर्विस रोड पर ट्रक को खड़ा देखा, जिसके नम्बर क्यूएसटी के अनुसार मिले। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मौके पर खड़े मिले ट्रक की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान ट्रक में करीब 16 लाख कीमत का जिम का सामान भी बरामद किया। मंडाना पुलिस टीम ने ट्रक को बरामद कर इसकी सूचना थाना दत्तावास को दी गई, सूचना पर पुलिस टीम मंडाना थाने पहुंची टीम के मंडाना थाना पहुंचने के बाद मंडाना पुलिस ने माल सहित ट्रक को जिला टोंक के थाना दत्तावास टीम को सुपुर्द किया गया।

चौमूं के खन्नीपुरा गांव में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों पर मधुमक्खियों का हमला

घटना में एक दर्जन से अधिक लोग घायल, श्मशान घाट स्थल पर अफरा-तफरी मची

मधुमक्खियों के हमले में घायल लोगों का अस्पताल में उपचार किया।

- अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान उठे धुएं से एक पेड़ पर बने मधुमक्खियों के छत्ते में हलचल हो गई थी
- कुछ लोगों को मौके पर ही उपचार दिया गया, जबकि गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को अस्पताल ले जाया गया

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। चौमूं उपखण्ड के कालाडेरा थाना इलाके के खन्नीपुरा गांव में शनिवार को अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिससे श्मशान घाट स्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार खन्नीपुरा निवासी महेन्द्र सिंह (62) का निधन हो गया था। उनके परिजन और ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट स्थल पर एकत्र हुए थे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान उठे धुएं के कारण पास के एक पेड़ पर बने मधुमक्खियों के छत्ते में हलचल हुई, जिससे मधुमक्खियां भड़क गईं और लोगों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के लगातार डंक मारने से रविन्द्र सिंह, विजय सिंह, देवेन्द्र सिंह, जीवन सिंह सहित करीब एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। अचानक हुए हमले के कारण कई लोग खुद को बचाने में असमर्थ रहे और दर्द से तड़पते नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही कालाडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची। चिकित्सा प्रभारी सरदार सिंह यादव के नेतृत्व में टीम ने पहुंचकर घायलों का उपचार शुरू किया। कुछ लोगों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को अस्पताल ले जाया गया। हालात सामान्य होने के बाद मृतक महेन्द्र सिंह का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई गई।

चार जुआरी गिरफ्तार

प्रागपुरा, (निसं)। पुलिस थाना प्रागपुरा ने जुआरियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक होटल के बंद कमरे में चल रहे जुए के खेल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 38,920 रुपये की जुआ राशि तथा ताश के पत्ते जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई 21 अगस्त को की गई।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक होटल के कमरा नंबर 403 में कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों पर हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे की जांच की, जहां चार व्यक्ति जुआ खेलते हुए पाए गए। पुलिस ने मौके से जुआ राशि और ताश के पत्ते जब्त कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान राजेश उर्फ राजू यादव (39), निवासी ललाना, लालचन्द (35), निवासी चुराला की ढाणी तन ललाणा, गिरधारीलाल (47), निवासी प्रागपुरा तथा विक्रम सैनी (38), निवासी दयावाली ढाणी तन प्रागपुरा को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में जुआ गतिविधियों में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया।

SE CUM PROJECT MANAGER, WCDC, WATERSHED DEVELOPMENT & SOIL CONSERVATION, CHURU

E-mail ID :- SEWDSC.CHURU@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक-एफ()73अ.अ./डब्ल्यूसीडीसी/चूरू/निविदा/2026-27/1310-14 दिनांक-20/8/26

NOTICE INVITING BID

E-NIT No 20/ YEAR 2026-27

Bids for Watershed Development Works are invited from interested bidders up to 05.00 PM on 31.08.2026 as per following details. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in or https://sppp.rajasthan.gov.in or https://watershed.rajasthan.gov.in) bof the state departmental website. Please Publish in One State Level & One Regional/Local daily News Paper (As per Rule) in Minimum Space.

S. No.	Block	Est. Cost in Lacs	NIB Code	UBN Code
1	Bidasar	146.77	WSC2627A0905	WSC2627WSOB01655
2	Bidasar	82.69	WSC2627A0905	WSC2627WSOB01656
3	Churu	123.316	WSC2627A0905	WSC2627WSOB01658
4	Ratangarh	49.513	WSC2627A0905	WSC2627WSOB01660
5	Taranagar	75.13	WSC2627A0905	WSC2627WSOB01662

DIPR/C/___/2026 S. E & P. M WCDC, Churu